FINANCE DEPARTMENT
(REGULATION)
The 8th September, 1987

No. 2/8/86-4F.D.III.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume II, in its application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volume II (Haryana Fourth Amendment) Rules, 1987.
2. In the Punjab Financial Rules, Volume II, in Appendix 14, in rule 22, in clause (ii) :—
   (i) for the figures "90", the figures "95" shall be substituted, and
   (ii) in sub-clause (a), for the words "Stores Organisation", the words "Directorate of Supplies and Disposals, Haryana" shall be substituted.

B. S. OHJA,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

वित्त विभाग
(विनियम)
दिनांक 8 सितम्बर, 1987

संख्या 2/8/86-4 वि० वि० III.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पंजाब वित्त नियम, जिल्द II, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब वित्त जिल्द II (हरियाणा चतुर्थ संशोधन) नियम, 1987, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब वित्त नियम, जिल्द II, अपेन्डिक्स 14, नियम 22 में, खण्ड (II) में :—
   (1) "90" अंकों के स्थान पर "95" अंक रखे जायेंगे, तथा
   2. उप-खण्ड (क) में "भण्डार संगठन" शब्दों के स्थान पर "पूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा" शब्द रखे जायें।

बी० एस० ओझा, वित्तायुक्त एवं सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(REGULATION)
The 6th October, 1987

No. 6/1 (2)/86-4FR (1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I, namely: —

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume I, Part I (Haryana 1st Amendment) Rules, 1987.
2. In the Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I, in rule 5.58, after note (9), the following note shall be inserted, namely: —

"*Note 10.*— (1) The term "fee" contained in this rule shall not include the following payments and, therefore, no special sanction is necessary: —
(a) unearned income, such as income from property, dividends and interest on securities, and
(b) income from literary, cultural, artistic, scientific or technological efforts.

Exemption

But acceptance of fees mentioned below would not be covered by (b) above: —
(i) sale proceeds or royalties on a book which is a mere compilation of Government rules, regulations and procedures.
(ii) income derived by performing clerical, administrative or technical functions for private bodies including those engaged in literary, cultural, artistic, scientific, charitable or sports activities.

(2) The following payments received by Government employees will not be subject to crediting one-third of the amount to general revenue: —
(a) writing of reports, papers or study reports on selected subject for international bodies like United Nation Organisation, United Nations Educational Scientific Cultural Organisation, etc.
(b) fees received from statutory bodies like Institute of Chartered Accountants and Haryana Institute of Public Administration.
(c) when a Government Department undertake the works for a non-Government Organisation and in its turn assigns the work to the officials suited for the purpose and pays them at rates approved by Government.

(d) income from books, articles papers and lectures on literary, cultural, artistic, technological and scientific subjects including management sciences.

(e) income from essential participation in sports, games and atheletic activities as players, referees, umpires or managers of the team.

Exemption

In case a Government employee is permitted to participate in sports activities and accepts payment as a professional, the income derived therefrom would continue to be subject to deduction under this rule.".

B. S. OHJA,
Finl. Commr. & Secy.
Finance Department.

वित्त विभाग
विनियमन
दिनांक 6 अक्तूबर, 1987

सं० 6/1(2)86-4एफ.आर.(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब सिविल सेवा नियम, खण्ड (1), भाग 1 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवा, खण्ड 1, भाग 1 (हरियाणा पहला संशोधन) नियम, 1987, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब सिविल सेवा नियम खण्ड 1, भाग 1 में, नियम 5.58 में टिप्पणी (9) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 10.—(1) इस नियम में दिए गए शब्द "फीस" में निम्नलिखित भुगतान शामिल नहीं होंगे और इसलिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है :—

(क) सम्पत्ति, लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय जैसी अर्जित आय, और

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक उपलब्धियों से आय ।

छूट

परन्तु नीचे वर्णित फीस की स्वीकृति उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत नहीं आएगी,—

(i) ऐसी पुस्तक पर बिक्री से आय या स्वामित्व (रायल्टी) जो सरकारी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का संकलन मात्र है ।

(ii) गैर-सरकारी निकायों के लिए लिपिकीय, प्रशासकीय, या तकनीकी कृत्यों का पालन करने से प्राप्त आय, जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ अथवा खेल कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्ति भी शामिल हैं ।

2. सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित भुगतान सामान्य राजस्व में एक-तिहाई राशि को जमा करवाने के अधीन नहीं होगा :—

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन संघ आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए उत्कृष्ट विषयों पर रिपोर्टों, पेपरों या अध्ययन रिपोर्टों का लेखन,

(ख) शाक्षपत्रित लेखाकार (चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट) संस्थान हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान जैसे कानूनी निकायों से प्राप्त फीसें,

(ग) जब सरकारी विभाग गैर-सरकारी संगठन के लिए कार्य को हाथ में लेता है तथा अपनी पारी में इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों को कार्य सौंपता है तथा उनको सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर भुगतान करता है,

(घ) प्रबंध विज्ञान सहित पुस्तकों, लेखों पेपरों तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक विषयों पर व्याख्यानों से आय,

(ङ) खेल कूद, क्रीड़ा और एथलैटिक कार्यकलापों में टीम के खिलाड़ियों, रेफरियों, निर्णायकों अथवा प्रबन्धकों के रूप में अनिवार्य रूप से भाग लेने से आय ।

छूट :

यदि सरकारी कर्मचारी को खेल कूद क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात दिया जाता है और वह व्यावसायी क रूप में भुगतान स्वीकार करता है, तो उनसे प्राप्त आय में से उस नियम के अधीन कटौती की जाती रहेगी ।"

बी० एस० ओझा,
वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।